फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

मु. नोसर विधवा भैरूलाल जाट निवासी कचौलिया, तहसील कपासन

बनाम

मु. गंगा विधवा किशोर जाट निवासी मिश्रों की पीपली, तहसील चित्तौड़गढ़ वगैरा

प्रकरण संख्या 03/2020 (राजस्व विविध)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.11.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 उपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाने पर भी प्रार्थीया तथा उसके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं। पूर्व पेशी दिनांक 13.11.25 पर भी प्रार्थीया तथा उसके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से उन्हें न्यायहित में अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर कोई अवसर देय नहीं होकर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी उसके बावजूद भी आज प्रार्थीया तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं है अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी प्रार्थीया तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 31/2018 (रा.अ.) निर्णय दिनांक 29.11.2019 के संलग्न की जावे।	